[1]राजस्थान कृषि उपज विपणन (मण्डी समितियों द्वारा अंशदान) नियम, 1974

विज्ञप्ति

राजस्थान कृषि उपज विपणन (मण्डी) अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम 38 सन् 1961) की धारा 18-ए का पठन धारा 36 की उप-धारा (2) के उपखण्ड (m) (s) (t) (u) के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार, एतद्द्वारा, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मण्डी समितियों द्वारा अंशदान के भुगतान पर लागू निम्नलिखित नियम बनाती है, जिनका प्रकाशन धारा 36 की उप-धारा (4) द्वारा अपेक्षानुसार पहले से कर दिया गया है, अर्थात्-

नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ- (1) ये नियम राजस्थान कृषि उपज विपणन (मण्डी समितियों द्वारा अंशदान) नियम, 1974 कहलायेंगे।

(2) ये शासकीय राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशाली होंगे।

2. परिभाषायें- (1) जब तक कि विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) "अधिनियम" से अभिप्राय राजस्थान कृषि उपज मण्डी (विपणन) अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम 38 सन् 1961) से है;

(ii) "बोर्ड" से अभिप्राय धारा 22-ए के अधीन स्थापित राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से है;

(iii) "अंशदान" से अभिप्राय लाइसेन्स शुल्क, मण्डी शुल्क और न्यायालयों द्वारा आरोपित जुर्मानों से अधिनियम की धारा 18-ए के अधीन प्राप्त आमदनी में से मण्डी समिति द्वारा विपणन विकास निधि को देय अंशदान से है;

(iv) "निदेशक" से अभिप्राय धारा 2 की उप-धारा (1) के उपखण्ड (v) में परिभाषित निदेशक से है;

(v) "मण्डी समिति" से अभिप्राय धारा 6 के अधीन स्थापित मण्डी समिति से है;

(vi) "धारा" से अभिप्राय अधिनियम की धारा है;

(2) जो शब्द और अभिव्यक्तियाँ इन नियमों में परिभाषति नहीं है परन्तु उनका उपयोग हुआ है उनका अभिप्राय क्रमश: वही होगा जो अधिनियम में बताया गया है।

3. मण्डी समितियों द्वारा अभिदाय की दर- (1) प्रत्येक मण्डी समिति प्रति वर्ष पहली अप्रेल को अपने वर्गीकरण पर निर्भर रहते हुए निम्नलिखित दरों पर अभिदाय करेगी।

---

1. अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 226 (42) एफ 10 (193) कृषि/जी.आर./II/74 दिनांक 10 दिसम्बर, 1974 को राजस्थान राजपत्र साधारण अंक भाग 4 ग I दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 में पृष्ठ 18 पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 9 (1) कृषि/ग्रुप 2/94 दिनांक 28.6.1977 द्वारा प्रतिस्थापित।
   प्रतिस्थापन से पूर्व यह नियम इस प्रकार था-
   3. मण्डी समितियों द्वारा अंशदान भुगतान की दर- प्रत्येक मण्डी समिति विपणन विकास निधि में बोर्ड को लाइसेन्स शुल्क, मण्डी शुल्क और न्यायालयों द्वारा आरोपित जुर्मानों से प्राप्त आमदनी की दस प्रतिशत दर से अपना अंशदान भुगतान करेगी।

Scanned with CamScanner

1. ''विशिष्ठ'' श्रेणी मण्डी समिति 30 प्रतिशत
2. ''अ'' श्रेणी मण्डी समिति 20 प्रतिशत
3. ''ब'' श्रेणी मण्डी समिति 10 प्रतिशत।

(2) ''स'' श्रेणी या ''द'' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत मण्डी समितियों से कोई भी अभिदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण- मण्डी समितियों का वर्गीकरण वह होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आधारित किया जाए।

4. वसूली की प्रक्रिया- जो नियम राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन लागू मण्डी शुल्क या अन्य शुल्कों की वसूली के लिए बनाये गये हैं, वे ही, यथोचित आवश्यक परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis) बोर्ड द्वारा मण्डी समितियों से अंशदान वसूल करने के लिए लागू होंगे।

5. भुगतान के लिए दायित्व- नियम 4 में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद, प्रत्येक मण्डी समिति, निदेशक को सूचना देते हुए, हर महीने से सम्बन्धित, आने वाले अगले महीने की पन्द्रह तारीख से पहले, बोर्ड को उसके कार्यालय में जहां नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए या बोर्ड के पक्ष में लिखे गए किसी विनमय साध्यसाख पत्र (negotaible instrument) को लेने के लिए व्यवस्था की गई हो, भुगतान करेगी।

टिप्पणी- विनिमिय साध्य साख पत्र से तात्पर्य चैक या बैंक ड्राफ्ट आदि से है।

6. रजिस्टरों कर रखाव- (1) प्रत्येक मण्डी समिति एक पृथक् रजिस्टर रखेगी जिसमें लाइसेन्स शुल्क, मण्डी शुल्क और न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माने से प्राप्त आमदनी तथा निधि में भुगतान की गई आमदनी और उसके द्वारा बोर्ड को भुगतान किए गए अंशदान की रकमें भी दर्शाई जाएगी।

(2) बोर्ड भी एक पृथक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक मण्डी समिति से प्राप्त अंशदान की रकमें ब्याज सहित या रहिरा प्राप्ति की तारीख के साथ दर्शाई जायेंगी।

❖❖❖

Scanned with CamScanner